न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 19/16–17

सजन कु0 झा बनाम् रैयान मौजा–गोसीचक

वर्तमान प्रकिया आवेदक सजन कु0 झा, पे0–स्व0 बद्रीनारायण झा, सा0–गोसीचक, थाना–बलबड्डा जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–गोसीचक नं0–369 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है तथा श्री प्रकाश झा, पे0–स्व0 गंगाधर झा, सा0–गोसीचक, थाना–बेलबड्डा, जिला–गोड्डा द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–5 के तहत प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का आवलोकन किया ।

आवेदक सजन कु0 झा द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–517/रा0, दिनांक–11.07.2016 से प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– गोसीचक नं0–369 प्रधानी मौजा है। आवेदक मौजा– गोसीचक नं0–369 के अन्तर्गत जमाबंदी नं0–13 के जमाबंदी रैयत पीरथी झा का परपोता है। आवेदक के बड़े भाई स्व0 राजेश कु0 झा उक्त प्रधानी मौजा के अंतिम प्रधान थे, जिसकी मृत्यु दिनांक–12.06.2016 को हो गई। अंचल अधिकारी, मेहरमा द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत वंशानुगत आवेदक सजन कु0 झा को मौजा गोसीचक नं0–369 का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

किसी भी व्यक्ति या प्रधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक मौजा के 16आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली, 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली, 1950 के अनुसूची–V की उपधारा–3 के अनुसार The office of Headman being hereditary the next heir who is titled should be headman के आलोक में आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, मेहरमा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर सजन कु0 झा, पे0–स्व0 बद्रीनारायण झा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा– गोसीचक नं0–369 का प्रधान नियुक्त किया जाता है तथा श्री प्रकाश झा, पे0–स्व0 गंगाधर झा, सा0–गोसीचक, थाना–बेलबड्डा, जिला–गोड्डा का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

F/Order.